राजस्थान सरकार 525
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक :प.1(63)नविवि/जयपुर/2016 जयपुर, दिनांक 24 AUG 2016

परिपत्र

भूमि अवाप्ति पुर्नस्थापना और पुर्नव्यवस्था में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 30 वर्ष 2013) दिनांक 01.01.2014 से प्रभाव में आ चुका है। जिसके तहत राज्य सरकार द्वारा राजस्थान भूमि अवाप्ति पुर्नस्थापना और पुर्नव्यवस्था में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2016 बनाये जा चुके है। विभागीय परिपत्र दिनांक 22.12.2015 के कम में अवाप्त भूमि के बदले विधिवत खातेदार द्वारा विभाग में विकल्प प्रस्तुत करने पर 25 प्रतिशत विकसित भूमि दिये जाने का प्रावधान है जिसमें से 20 प्रतिशत आवासीय 5 प्रतिशत व्यावसायिक भूमि दी जाती है।

विकसित भूमि संबंधित न्यास के द्वारा उपलब्ध कराने के पश्चात कितने समय में निर्माण किया जाना चाहिए का उल्लेख अधिनियम/नियम/परिपत्र में उल्लेखित नही है। राजस्थान सुधार न्यास (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के नियमों में आवंटन/नीलामी में निर्माण अवधि निश्चित की हुई है। विकसित भूमि आवंटित होने के पश्चात उक्त नियमों के अन्तर्गत ही कार्यवाही की जाती है। अतः अवाप्त भूमि के बदले विकसित भूमि आवंटित करने के पश्चात निर्माण अवधि एतद द्वारा निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है:—

1. विकसित भूमि के लीज डीड निष्पादित होने की दिनांक से 10 वर्ष की अवधि में निर्माण किया जाना आवश्यक है।
2. विकसित भूमि के लीज डीड निष्पादित होने की दिनांक से 10 वर्ष पश्चात प्रति वर्ष आरक्षित दर का 1 प्रतिशत राशि पुर्नग्रहण शुल्क लेते हुए न्यास/प्राधिकरण के द्वारा निर्माण की स्वीकृति दी जावेगी।
3. जिन भूखण्डों को अवाप्त भूमि के बदले आवंटन हुए 10 वर्ष से अधिक समय हो चुका है परन्तु अभी तक निर्माण नही किया हुआ है, उन भूखण्डों पर 30 जून, 2018 तक बिना शुल्क निर्माण किया जा सकेगा। दिनांक 30 जून, 2018 के पश्चात ऐसे भूखण्ड जिनको 10 वर्ष से अधिक समय हो चुका है उन्हें पुर्नग्रहण शुल्क आरक्षित दर की प्रतिवर्ष 1 प्रतिशत राशि वसूल कर न्यास/प्राधिकरण के द्वारा निर्माण की स्वीकृति दी जावेगी।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार

भवदीय,

24/8/16

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव—द्वितीय

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
5. संभागीय आयुक्त (समस्त) राजस्थान।
6. जिला कलेक्टर (समस्त) राजस्थान।
7. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. निदेशक, राजस्थान सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
9. संयुक्त शासन सचिव–प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
10. Sh. R.K. Pareek विशेषाधिकारी/परामर्शी, नगरीय विकास विभाग, नगर नियोजन विभाग, जयपुर।
11. वरिष्ठ नगर नियोजक/उपविधि परामर्शी, नगरीय विकास विभाग।
12. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को उक्त अधिसूचना विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
13. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण/जोधपुर विकास प्राधिकरण/अजमेर विकास प्राधिकरण।
14. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
15. सचिव, नगर विकास न्यास (समस्त)।
16. रक्षित पत्रावली।

24/8/16

संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय